

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)
कैलाश चन्द यादव बनाम ग्राम पंचायत नृसिंहपुरी वगै०
किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु०नं० 403 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/680

तारीख हुकम हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

10-07-2025

रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री संदीप यादव उपस्थित। वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 14.08.2025 को पेश हो।

Kud
राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

14/8/25 पत्रावली पेश हुई। वकूलाप उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य में स्थित हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 2/9/25 को पेश हो।
अधिवक्ता श्री संदीप यादव को पेश हो।
31/9/25

पत्रावली पेश हुई। वकूलाप उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य में स्थित हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 24/9/25 को पेश हो।

24/9/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व वकील प्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण में बार-बार आवाज दिलवाई गई। बावजूद कोई भी हाजिर अदालत नहीं आए। अतः वहीलाय भ्रमण प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में प्रकरण बालवाही को अदम्य हाजती व अदम्य फरकी में जातिज किया जात है। पत्रावली केमक शुभ्राट होकर नम्बर से यह है व दायित पष्ट है।

कैलाश चन्द यादव
अ. नि. सिमलपुरी

